जालोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड़

सुरक्षित जमा लॉकर करार

SAFE DEPOSIT LOCKER AGREEMENT

लॉकर संख्या	चाबी संख्या	लॉकर श्रेणी(साईज)

यह करार .....(स्थान) में दिनांक .....को

1. श्री/श्रीमति.....पुत्र/पुत्री/पत्नि .....

   आयु.....(वर्ष) निवासी.....(पूरा पता)

2. श्री/श्रीमति.....पुत्र/पुत्री/पत्नि .....

   आयु.....(वर्ष) निवासी.....(पूरा पता)

3. श्री/श्रीमति.....पुत्र/पुत्री/पत्नि .....

   आयु.....(वर्ष) निवासी.....(पूरा पता)

4. श्री/श्रीमति.....पुत्र/पुत्री/पत्नि .....

   आयु.....(वर्ष) निवासी.....(पूरा पता)

जिसे इसके बाद **किरायेदार** कहा जाता हैं, जिसकी अभिव्यक्ति में जब तक की सन्दर्भ के प्रतिकुल न हो, एक और निम्न शामिल होगा।

अ. एक या अधिक व्यक्ति, उसके/उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि।

ब. स्वामित्व फर्म, मालिक और उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि।

स. एक साझेदारी फर्म, ऐसे फर्म और उसके उत्तराधिकारी, ऐसे फर्म के साझेदार, उनमें से उत्तरजीवी और उनमें से प्रत्येक के उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि।

द. एक हिन्दु अविभक्त परिवार (एच.यू.एफ.) उनके सदस्य और उनके उत्तरजीवी, कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि।

य. एक लिमिटेड़ कम्पनी या उसके उत्तराधिकारी

और दुसरी ओर जालोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड़ जिसे भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग कारोबार करने का लाईसेंस प्राप्त हैं, जिसका प्रधान कार्यालय, हरिदेव जोशी सर्कल, जालोर–343001 में स्थित हैं और उसकी एक शाखा .....में स्थित हैं, इसके बाद बैंक कहा जायेगा, के बीच हैं जिसकी अभिव्यक्ति में उसके प्रशासक, समनुदेशिती और उत्तराधिकारी शामिल माना जायेगा।(बैंक और किरायेदार को ''पार्टी'' के रूप में और सामूहिक रूप में ''पार्टियों'' के रूप में संदर्भित किया जाता हैं।)

जबकि –

अ. सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक किरायेदार ने ऐसी सुविधा के लिए बैंक से सम्पर्क किया हैं।

ब. बैंक कुछेक शर्तो के अधीन किरायेदार को सुरक्षित जमा लॉकर प्रदान करने के लिए सहमत हैं।

स. पार्टियों ने इस संबंध में उनके बीच सहमति नियत करने के लिए यह करार करने का निर्णय लिया हैं।

अब यह विलेख इस बात का गवाह है कि बैंक ने किरायेदार को एक सुरक्षित जमा लॉकर नम्बर .....श्रेणी..... , रूपयें..... के वार्षिक किरायें पर (इस करार की अनुसूची में दिये गये विवरण के अनुसार) पट्टे पर दिया हैं जो समय–समय पर किराये के संशोधन के अधीन बिना मांग के अग्रिम रूप से देय हैं।

यह पार्टियों द्वारा और उनके बीच निम्नानुसार सहमति हैं:–

01. लॉकर लाईसेंस

1.1. लॉकर के मामले में बैंक और ग्राहक के मध्य का संबंध, बैक एक लाइसेंसदाता के रूप में एवं किरायेदार को एक लाइसेंसधारी के रूप में इस करार के तहत निर्धारित शर्तो के अधीन सुरक्षित जमा लॉकर का उपयोग करने के लिए लाईसेंस प्रदान करता हैं।

1.2. आवेदक का बैंक में बचत खाता होना अनिवार्य हैं।

1.3. किरायेदार द्वारा बैंक प्रस्तावित लॉकर आवेदन फार्म एवं सुरक्षित जमा लॉकर करार (निर्धारित स्टापित) निष्पादित करने एवं एक वर्ष का अग्रिम किराया जमा करवाने पर लॉकर आवंटित किया जायेगा। बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना किसी कारण बताये लॉकर किराये पर देने से मना कर दें।

1.4. किसी भी लॉकर के आवंटन से पूर्व KYC पूर्ण की जाएगी तथा Due Diligance के नियमों का पालन करना होगा।

1.5. लॉकर किराये पर लेते समय बैंक की शाखा मे नियमानुसार राशि की न्यूनतम फिक्स डिपोजिट(FDR) तीन वर्ष के बराबर लॉकर किराया एवं अन्य खर्चो के विरूद्ध रहन रखनी होगी। उक्त सिक्यूरिटी डिपोजिट (FDR) पर बैंक का Lien रहेगा। जिसका उपयोग किराया वसूली, चाबी खो जाने की दशा में तुडवने (Break Open) के खर्चे इत्यादि वसूल करने हेतु किया जायेगा। अमानत (FDR) तय की गई हैं, जो समय–समय पर परिवर्तनशील होगी।

1.6. किरायेदार उन सब नियमों एवं विनियमों से आबद्ध होने के लिए सहमत हैं जो बैंक का सेफ डिपाजिट विभाग समय–समय पर अंगीकार करेगा।

1.7. लॉकर का उपयोग करने के लिए निम्नानुसार लाईसेंस का प्रयोजन होगा।

(a) यह व्यक्तिगत और किरायेदार के अपने उपयोग के लिए है और ग्राहक के अलावा अन्य किसी व्यक्ति के लिए नहीं।

(b) अहस्तान्तरणीय।

(c) केवल वैध उदेश्यों के लिए जैसे–कीमती समान (गहने और दस्तावेजो का भण्डारण), किन्तु किसी भी नकद या मुद्रा के भण्डारण के लिए नही।

(d) निम्न भण्डारण के लिए नही

(अ) आयुध, हथियार, विस्फोटक, ड्रग्स और या कोई निषिद्व सामग्री।

(ब) कोई भी खराब होने वाली सामग्री और या रेडियो एक्टिव सामग्री या कोई अवैध पदार्थ।

(स) कोई भी सामग्री जो बैंक या उसके किसी किरायेदार के लिए कोई खतरा या बाधा पैदा कर सकती हैं।

1.8. यदि बैंक को संदेह है कि किरायेदार द्वारा सुरक्षित जमा लॉकर में कोई अवैध या खतरनाक वस्तु को जमा किया है, तो बैंक के पास यह अधिकार रहेगा कि लॉकर के किरायेदार को बिना सूचना दिए लॉकर तोडकर खोले एवं परिस्थितियों के अनुरूप किरायेदार के खिलाफ उपयुक्त और समुचित कार्यवाही करें।

1.9. भाडे की अवधि के समाप्त होने की तिथि के सात दिन पूर्व किरायेदार अपने इस आशय की लिखित सूचना बैंक को देकर कोई भी पक्ष करार की पर्यवसित कर सकता है और ऐसी दशा में किरायेदार द्वारा लॉकर की चाबियां भाडे की समाप्ति के दिन मध्यान्ह पूर्व बैंक को अभ्यर्पित कर दी जानी चाहिए। यदि ऐसी सूचना नही दी जाती है तो अवधि समाप्ति की तारीख से भाडे का नवीनीकरण समझा जाएगा। लॉकर किराये में परिवर्तन किया जा सकता हैं जो किरायेदार अदा करने के लिए बाध्य रहेगा।

1.10. किरायेदार के पतें में किसी भी परिवर्तन की सूचना बैंक को सेफ डिपाजिट विभाग को दी जानी चाहिए और कोई भी सूचना या संसूचना जो डाक द्वारा या अन्य माध्यम से भेजी हैं किरायेदार के दर्ज पते पर भेजी गई है, सम्यक रूप से तामील की गई मानी जाएगी।

1.11. बैंक परिसर के स्थान परिवर्तन की अवस्था में (यदि लॉकर केबिनेट भी ट्रान्सफर हो तो सम्भावित नुकसान के कारण लॉक में आई खराबी को ठीक करने हेतु बैंक समस्त अधिकार अपने पास सुरक्षित रखेगा।

1.12. सभी संपत्तियों पर बैंक का सामान्य धारणाधिकार किरायेदार पर बकाया सभी रकमों के बारे में होता हैं तथा ऐसी सभी सम्पत्तियों या उसके अंश को बकाया रकम की वसूली के लिए बेचने का भी अधिकार बैंक को होगा।

1.13. किरायेदार का कोई संपत्ति अधिकार लॉकर पर नहीं होगा किन्तु लॉकर की अवधि में और इसके अनुसार एकमात्र उपयोग का औंर पहुंच पाने का अधिकार होगा। किरायेदार लॉकर को या उसके किसी भाग का समनुदेशन नहीं करेगा और न ही उसे पट्टे पर देगा।

1.14. यह समझौता भारतीय कानून के अधीन बनाया गया है और इससे संबंधित सभी मामले उस स्थान पर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे जहां बैंक स्थित है या जिस क्षेत्राधिकार में बैंक आता हैं।

02. लॉकर संचालन

2.1. सेफ डिपाजिट वाल्ट शनिवार, रविवार और बैंक की छुट्टियों को छोड़कर प्रतिदिन 10.30 बजे से 4.00 बजे तक खुला रहेगा। सेफ डिपाजिट वाल्ट के खुलने और बन्द करने के समय में परिवर्तन करने का भी अधिकार बैंक के पास सुरक्षित रहेगा।

2.2. यदि बैंक अपने नियंत्रण से बाहर किसी भी कारण से कार्य नही कर पाता है जैसे–बाढ, दंगा, कर्फ्यू, तालाबन्दी, सी.बी.एस. तकनीकी खराबी आदि तो बैंक लॉकर के संचालन की अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

2.3. लॉकर का संचालन कराने से पूर्व धारक को शाखा द्वारा संधारण Locker Operation रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर करने होंगें साथ ही शाखा प्रबन्धक द्वारा मांग करने पर अपना नवीनतम पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं बैंक अधिकारी को संचालनकर्ता के हस्ताक्षर एवं दस्तावेज सत्यापित करने होगें।

2.4. लॉकर का संचालन दो चाबियों से किया जायेगा जिसकी एक चाबी किरायेदार के पास तथा दुसरी पूरे केबिनेट की एक मास्टर चाबी तिजोरी के सरक्षक (बैंक अधिकारी) के पास रहेगी।

2.5. लॉकर आवंटन के समय लॉकर धारक की जिम्मेदारी रहेगी कि वह यह जाँच लेवे कि लॉकर बैंक मास्टर चाबी एवं किरायेंदार की चाबी दोनो के प्रयोग से ही खुल रहा हैं।

2.6. लॉकर में यह प्रणाली आवश्यक रूप से होगी कि किसी भी एक चाबी से लॉकर का खोलना सम्भव नहीं होगा। जब भी लॉकरधारक लॉकर का संचालन कर उसे स्वयं की चाबी से बंद करेगा तब लॉकर (Autometic)बंद हो जाना चाहिये इसकी समस्त जिम्मेदारी लॉकरधारक की रहेगी कि वह लॉकर को पूर्ण बंद करने के पश्चात् ही चाबी बाहर निकाले।

2.7. यदि वर्ष के दौरान 12 बार से अधिक लॉकर का संचालन किया जाता है तो 12 के पश्चात् प्रत्येक संचालन पर रू. 50/– +GST चार्ज वसूला जायेगा।

2.8. प्रत्येक कार्य दिवस में अधिकतम दो बार से ज्यादा लॉकर संचालन की अनुमति नही दी जाएगी परन्तु रू. 50/– +GST चार्ज वसूल करने के उपरान्त दी जा सकती हैं।

2.9. लॉकर तिजोरी को छोडने से पूर्व किरायेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि लॉकर सही तरीके से बन्द हो गया हैं और कुछ भी लॉकर के बाहर नही छोडा /रखा गया है।

2.10. लॉकर धारक किसी प्रकार की बदनियती पूर्वक बैंक पर लॉकर संचालन सम्बन्धी दोषारोपण एवं उसमें रखी सामग्री बाबत निराधार व्यवहार करता है तो बैंक किसी भी स्थिति में उत्तरदायी नही होगा।

2.11. बैंक की शाखा द्वारा Alloted चाबी के अलावा अन्य किसी दुसरी चाबी से लॉकर खोलने की अनुमति प्रदान नही की जाएगी। इस हेतु लॉकर का संचालन करवाने से पूर्व Custodian को लॉकर की चाबी पर Embossing जॉचनी होगी।

2.12. लॉकर धारक को लॉकर पर कोई भी अन्य लॉक लगाने का प्रावधान नही रहेगा।

2.13. लॉकर धारक द्वारा कोई ताला लगाया जाता हैं तो उसे तुडवाने व अन्य खर्चे की समस्त जिम्मेदारी लॉकर धारक की रहेगी।

2.14. किसी भी लॉकर धारक को नशे की हालत में लॉकर रूम मे प्रवेश की इजाजत नही होगी तथा न ही लॉकर संचालन की अनुमति दी जाएगी।

2.15. बैंक लॉकर संचालन के संबंध में किसी भी नियामक संस्थान, कोर्ट अथवा पुलिस के आदेशों पर उचित संज्ञान लेगा।

2.16. लॉकर धारक को छः माह में एक बार लॉकर का संचालन करना होगा। यदि लॉकर 1 वर्ष से अधिक समय से असंचालित रहता है तों बैक को यह अधिकार होगा की स्पष्ट कारण के अभाव में उक्त लॉकर को डिफाल्टर मानकर आबंटन को रद्द करने हेतु धारक को नोटिस जारी कर सकता हैं कि सुरक्षा मापदण्डों के दृष्टिकोण से उक्त लॉकर का आबंटन रद्द किया जा रहा है, चाहे व्यक्ति द्वारा किराया भी अदा क्यों न किया गया हो।

2.17. यदि लॉकर धारक द्वारा लिखित में यथोचित कारण प्रस्तुत किया जाता हैं जैसे देश/प्रदेश के बाहर निवास अथवा ऐसी जगह व्यापार/नौकरी जिसमें यात्रा करनी पडती है तो शाखा उसे अनुमति प्रदान कर सकती है।

2.18. यदि उपरोक्त नोटिस के बावजूद लॉकर धारक संचालन नही करता हैं तो उसको कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए लॉकर तुडवाने की कार्यवाही अमल में लाई जाऐगी जिसका समस्त चार्ज एवं खर्चा वसूल किया जाएगा।

2.19. किरायेदार के विरूद्ध जो भी उपचार बैंक को प्राप्त हो उन पर बिना कोई विपरीत प्रभाव डाले बैंक को अधिकार होगा कि वह किराये का भुगतान न होने पर चाहे किराये की मांग की या न की गई हो अथवा यहॉ उल्लेखित किन्हीं भी शर्तों के किरायेदार द्वारा उल्लंघन होने पर अपने विकल्प के अनुसार उक्त लॉकर के उपयोग करने के अधिकार खो देगा तथा बैंक इसके लिए स्वतंत्र हो कि वह लॉकर को तोड़कर खोल ले और उसमें रखी हुई वस्तुएँ सहमत किए गए किराए से दुगुने किराए पर उन्हे अन्य लॉकर में प्रतिधारित करें या लॉकर धारक के आवेदनानुसार नियमानुसार कार्यवाही कर पावती प्राप्त कर सुपुर्द किया जाऐगा।

;द्ध यदि ऐसे मामले में जहाँ Locker का संचालन लगातार Survivor के द्वारा ही किया जा रहा हैं तो ऐसी परिस्थिति में लॉकर की चाबी लेकर अनुबन्ध समाप्त किये जाने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित रहेगा।

;इद्धयदि दावेदार के पास लॉकर की चाबी नही हैं तो लॉकर को Break-Open किया जा सकेगा। इस हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

2.20. लॉकर धारक को किसी भी व्यक्ति का नाम जोडने अथवा हटाने का अधिकार रहेगा जो संचालन करने हेतु अधिकृत किया जावें।

03. लॉकर किराया

3.1 किरायेदार को standing instruction के अनुसार किराये का भुगतान करना होगा । इस हेतु लॉकर धारक को अपने खाते में पर्याप्त शेष रखना होगा।

3.2 किराया एक वर्ष का अग्रिम वसूला जायेगा, यदि किरायेदार द्वारा वर्ष के पूर्व में लॉकर बंद/सरेण्डर कराया जा रहा हैं तो अनुपातिक रूप से किराया पुनः लौटाया जाएगा।

3.3 लॉकर किराया की पूरी राशि अग्रिम देय हैं। किराये का भुगतान न होने पर भले ही उसकी मांग हो या न हो, लॉकर तक पहुंच देने से मना करने का बैंक को अधिकार होगा।

3.4 बैंक द्वारा लॉकर हेतु अमानत (डिपोजिट के रूप में) तय की गई है जो समय–समय पर परिवर्तनशील रहेगी। साथ ही लॉकर धारक कों किराये मे किए गऐ परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए किराया अदा करने हेतु बाध्य रहेगे।

3.5 यदि किराया बकाया हैं तो नोमिनी से वसूल किया जाएगा।

3.6 लॉकर किराया भुगतान में विलम्ब किया जाता हैं तो 18% अतिरिक्त ब्याज Delayed Period का वसूला जाएगा।

04. नामांकन सुविधा एवं दावों का निपटारा

4.1 नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है। Joint Hire के तहत लॉकर जारी हो तो दो नामाकंन किये जा सकते हैं।

4.2 नामांकन में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है परन्तु नांमाकन को परिवर्तन करने का अधिकार उसी व्यक्ति को होगा जिसके अधिकार में लॉकर विधमान है।

4.3 नांमाकन परिवर्तन हेतु बैंक को निर्धारित फोर्म जो पूर्ण भरा हुआ हो प्राप्त कर उसे नामांकन रजिस्ट्रर में इन्द्राज करते हुए लॉकर धारक को पावती देनी चाहिए।

4.4 यदि लॉकर किरायेदार को नोमिनेशन नही कराना हैं तो वह स्वतंत्र हैं । इस हेतु किरायेदार को नामांकन नही चाहिए का प्रार्थना पत्र हस्ताक्षर कर देना होगा।यदि लॉकर किसी अवयस्क के नाम से जारी किया जाता हैं तो संचालन Natural Guardian द्वारा किया जाएगा एवं विधि द्वारा कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति नोमिनी होगा।

4.5 यदि किसी परिस्थिति वश लॉकर धारक की मृत्यु हो जाती हैं तो बैंक उसके नोमीनी को हस्तान्तरण करने हेतु कार्यवाही करेगा। यदि लॉकर संयुक्त रूप से जारी किया गया है तथा उसमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो नोमिनी तथा जीवित व्यक्ति के द्वारा कार्यवाही की जा सकती है।

4.6 सामान्य परिस्थितीयो में मृत्यु दावो का निपटान बैंक द्वारा मृतक के वारीसदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर किया जायेगा ।

4.7 किरायेदार की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर अथवा Either/ Survivor के मामले में किसी की Death होने पर–

(a) कानुनी प्रतिनिधियों की पहचान कर नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के बाद ही लॉकर संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी। हॉलाकि लॉकर की सामग्री की सूची तैयार करने हेतु अनुमति दी जा सकती है परन्तु इस हेतु कानुनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने से पूर्व मृतक के उत्तराधिकारी उनका वकील तथा कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकृत व्यक्ति के समक्ष होगा।

(b) लॉकर किराये पर लेते समय यदि लॉकर से Joint A/C holders के द्वारा अपने उत्तरजीवियों के पक्ष में लिखत किया हुआ है तो अनुमति दी जा सकती है चाहे दोनो धारकों की मृत्यु क्यों न हो जाए।

(c) बैंकिग रेग्युलेशन एक्ट 1949 की धारा 45ZE में यह स्पष्ट है कि कोई अवयस्क लॉकर में रखी सामग्री प्राप्त करने का अधिकार नही रखता है हॉलांकि यदि अवयस्क द्वारा लॉकर में रखी सामग्री को हटाने की मांग की जाती है तो शाखा यह सुनिश्चित करेगी की कानूनी रूप से उक्त सामग्री को अवयस्क की तरफ से कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकृत व्यक्ति ही अधिकार रखेगा। अन्य दशा में अव्यस्क के व्यस्क होने तक सामग्री की सुपुर्दगी स्थगित रखी जाएगी।

(d) लॉकर में रखी सामग्री को उसके नोमिनी को लेने की ईजाजत दी जा सकती है परन्तु यह मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रति सक्षम कार्यालय के अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर जारी किया गया प्रस्तुत करने पर ही होगी।

(e) लॉकर की सम्पति का निस्तारण अन्य डिपोजिट के निस्तारण हेतु अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रिया की तरह से ही किया जाऐगा।

(f) यदि किसी व्यक्ति द्वारा लॉकर लेते वक्त नोमिनी की नियुक्ति की जाती है तो उसकी मृत्यु पश्चात नोमिनी को लॉकर में रखी सामग्री की सुपर्दगी की जा सकती है परन्तु KYC Due Diligence करना आवश्यक होगा।

(g) यदि किसी भी लॉकर का आंबटन सयुक्त नामों से किया गया है तथा उसका संचालन भी संयुक्त हस्ताक्षर की शर्त के साथ है तथा उसमे Nomination भी दर्ज है ऐसी स्थिति मे यदि धारक की मृत्यु होने पर बैंक उत्तरजीवी (Survivor) एवं Nominee नामांकित को लॉकर संचालन की अनुमति प्रदान कर सकता है।

(h) यदि लॉकर का आबंटन Survivorship के clause के तहत हुआ है जिसमे धारक ने लॉकर संचालन Clause के तहत – “either or Survivor”, “any one or Survivor या “Former or Survivor या अन्य किसी Survivorship clause को निर्देश करके किराये पर लिया है। ऐसे मामले मे यदि किसी भी धारक की मृत्यु हो जाने पर बैंक द्वारा उपरोक्त Clause की पालना में बैंक द्वारा लॉकर की सुपुर्दगी निम्न नियमों की पालना करते हुए की जाएगी:–

i. यदि किसी एक धारक की मृत्यु हो जाती हैं तो ऐसे मामले में उत्तरजीवी (Survivor) एवं नोमिनी को पहचान सुनिश्चित करके ही लॉकर में रखे सामान की सूचि उक्त दोनो (Survivor & Nominee) के हस्ताक्षर करवा कर सामान की सुपर्दगी दी जाएगी।

ii. बैंक को जानकारी हेतु की मृतक व्यक्ति के नाम से लॉकर के संचालन के संबंध मे कोई कानूनी दावा/रोक तो नही लगाई हुई है। इस हेतु घोषणा पत्र देना होगा।

iii. बैंक उक्त अधिकार देते समय उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्ति को यह स्पष्ट कर देगी कि मृतक के लॉकर तक की पहुँच उन्हे केवल मृतक के कानूनी उतराधिकारी के ट्रस्टी के रूप मे दी गई है । परन्तु यह पहुँच किसी भी प्रकार का वाद या दावा करने वाले व्यक्ति के अधिकार को प्रमाणित नही करेगी

विशेष– यह स्पष्ट है कि पूर्व निर्धारित शर्तो की पालना में यदि बैंक द्वारा मृतक के बाद उनके उत्तरजीवी या नोमिनी को संचालन की स्वीकृति दे दी जाती हैं तो बैंक अपना मृतक के प्रति उत्तरदायित्व पूर्ण कर लेता हैं। कानूनी अडचने पैदा न हो अतः ऐसे मामलो में उत्तरजीवी या नोमिनी को स्वीकृति प्रदान करने

से पहले मृतक के लॉकर के सम्बन्ध में succession certificate, Letter of Administration या प्रोबेट या Indemnity Bond भरकर दोनो दावेदारो को देना होगा।

4.8 कानूनी वारिसदार/उत्तराधिकारी को बिना नियुक्त किये लॉकर सुविधा उपलब्ध करना कई मामलों में असुविधा तथा अनुचित कठिनाई का कारण बन जाता हैं ऐसे मामले जिनमें लॉकर धारक ने कोई Nomination नही डाला है अथवा Joint Locker Holder द्वारा किसी भी प्रकार Mandate नही दिया जिसके कारण अन्य वारिसदारो को उत्तराधिकारी माना जा सके तो ऐसी परिस्थिति में ग्राहक हित का रक्षण करते हुए Customer Friendly claim procedure अपनाया जाकर इसके पश्चात ही असल उत्तराधिकारी/कानूनन प्रतिनिधि को मृतक के लॉकर में रखी सामग्री प्राप्त करने दी जायेगी।

(a) बैंकिग रेग्युलेशन एक्ट–1949 की धारा 45ZC to 45ZF के नियमों तथा बैंकिग कम्पनी (Nomination रूल्स 1985 के साथ कोन्ट्रेक्ट एक्ट एवं Indian succession Act के नियमों की की पालना पूर्ण सुनिश्चित की जानी होगी।

(b) यदि किसी भी Nominee/Survivor/Legal hirer के द्वारा मृतक के लॉकर को ही चालू रखना चाहता है तो बैंक को नया एग्रीमेन्ट उत्तराधिकारी के साथ करना होगा। साथ ही उनके Nominee के KYC दस्तावेज प्राप्त करने के साथ साथ अन्य दस्तावेज भी निष्पादीत करने होगें जैसे नए लॉकर Allot करते समय होते है।

(c) लॉकर धारक यह पुष्टि करेगा कि यदि मृतक के लॉकर को खोलने की अनुमति जिन उत्तरजीवी अथवा नोमिनी को दी जा रही है वो केवल कानुनी उत्तराधिकारीयों के ट्रस्टी हैं परन्तु यदि कोई अन्य व्यक्ति जो उक्त Survivor/Nominee के विरूद्ध है तो दावा करने के अधिकार से वंचित नही किया जा सकेगा।

05. लॉकर तुडवाना, बंद करना एवं उसमें रखी वस्तुओं का निपटारा

5.1 लॉकर धारक एक प्रार्थना पत्र के आधार पर लॉकर की चाबी बैंक को सुपुर्द कर लॉकर सुविधा बन्द करवा सकता हैं। उक्त प्रार्थना पत्र पर सभी धारको के हस्ताक्षर हो तभी बन्द की अनुमति प्रदान की जाऐगी। उक्त प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट लिखा हो कि लॉकर में रखी सामग्री प्राप्त कर ली हैं तथा लॉकर पूर्णतया खाली है।

5.2 बैंक द्वारा भी नोटिस जारी कर लॉकर खाली करवाया जा सकता है।

5.3 यदि कोई किराया बकाया हैं तो वसूली उपरान्त ही सरेण्डर की अनुमति दी जाऐगी।

5.4 लॉकर की चाबी गुम हो जाने पर लॉकर धारक को तुरन्त बैंक को सूचना देनी होगी।

5.5 लॉकर की चाबी गुम होने पर सर्विस चार्ज के रूप में 500/– रू. की राशि वसूल करने के बाद अन्य खर्च का कम्पनी से अनुमानित विवरण अनुसार अग्रिम राशि किरायेदार को जमा करानी होगी। तत्पश्चात लॉकर तुडवाया जा सकेगा।

5.6 लॉकर धारक द्वारा नियमानुसार सूचना बैंक को दे देने पर शाखा का यह उत्तरदायित्व रहेगा कि वो उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करे।

5.7 कम्पनी के प्रतिनिधी द्वारा लॉकर तोडने हेतु दिये गये समय पर लॉकर धारक अथवा उसका नोमिनी जो भी अधिकृत हो को नियत तिथि पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा।

5.8 लॉकर तुडवाने के बाद बैंक के पास अन्य खाली लॉकर उपलब्ध होने पर ही दुसरा लॉकर अल्प समय हेतु दिया जाऐगा।

5.9 लॉकर को किरायेदार के द्वारा प्रार्थना पत्र के आधार पर अथवा किराये के भुगतान में डिफाल्ट करने पर या अन्य कोई दशा में लॉकर तुडवाया जा सकेगा

(a) लॉकर्स तुडवाने का समस्त चार्ज एवं खर्चे लॉकर धारक से वसूल होगें।

(b) लॉकर तोडने हेतु बैंक द्वारा कम्पनी के प्रतिनिधी को अधिकृत किया जा सकेगा। जो उसी कम्पनी का प्रतिनिधि होगा जिस कम्पनी का लॉकर Make & Made हैं।

(c) यदि बैंक द्वारा लॉकर तुडवाया जा रहा हैं तो लॉकर धारक को नियमानुसार 15 दिनों का नोटिस भेजकर उचित अवसर प्रदान करना होगा। नोटिस भेजने के बाद नियत तिथी तक कोई जवाब नही दिया है तो बैंक अपने नोटिस बोर्ड पर डिफाल्डर लॉकर धारक का नाम प्रकाशित करेगा। इस हेतु 30 दिनो का अवसर प्रदान किया जाऐगा।

(d) इसके बाद ही कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि/मैकेनिक द्वारा दो स्वतंत्र गवाहो के समक्ष जिनकी अच्छी साख हो तथा बैंक के दो अन्य कर्मचारीयों की उपस्थिति में तुडवाया जाऐगा। एवं अन्दर रखे सामान की सूचि बनाई जाकर एवं सामान बैचकर बैंक के समस्त बकाया की वसूली की जाऐगी एवं शेष सामान को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाऐगा।

(e) यदि लॉकर धारक द्वारा किराया अदा नही करने के कारण लॉकर तुडवाया जा रहा हैं तो उसके द्वारा सिक्युरिटी के तौर पर LIEN की हुई FDR में से राशि वसूली की जाऐगी। इसमें निम्नलिखित खर्च सम्मिलित किये जाऐगेः–लॉकर तुडवाने, नया लॉक लगवाने, बैंक के बकाया किराये की पूर्ण वसूली मय ब्याज, अन्य चार्जेज (I.C.), एवं लॉकर में पडा सामान पुनः अन्य लॉकर में रखने का नियमानुसार किराया इत्यादि।

5.10 किरायेदार इस बात से सहमत हो कि निर्धारित अवधि में किराया राशि की अदायगी में त्रुटी होने पर या किराये की अनुबंधित अवधि समाप्त होने के बाद किराया का भुगतान नही होने पर बैंक द्वारा लॉकर तुडवा

कर एवं उसमें रखी वस्तुओं को नियमानुसार नीलाम कर किराया एवं समस्त खर्चे वसूल करने का अधिकार रखेगा।

5.11 निम्नलिखित में से किसी एक और उससे अधिक घटनाओं के घटने पर इस करार के प्रावधानों, बैंक की आंतरिक नीति(यों) और प्रक्रिया(ओं) और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार बैंक को लॉकर तोड़कर खोलने और उसके अंदर की सामग्री से निपटने का अधिकार होगा–

(a) यदि किराएदार द्वारा लॉकर अनुबंध का उल्लंघन या डिफाल्ट की स्थिति में और/या बैंक का मानना है कि किराएदार सहयोग नही कर रहा हैं और/या इस अनुबंध की शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहा हैं, किराएदार को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट (और/या (i) ई–मेल जहां किराएदार की ईमेल आईडी उपलब्ध हैं, और (ii) एसएमएस और/या व्हाट्सएप, जहां किराएदार का मोबाइल फोन नंबर उपलब्ध हैं)(''समाप्ति सूचना'') द्वारा कम से कम एक महीने की पूर्व लिखित सूचना जारी करने के बाद, इस अनुबंध और इसके तहत दी गई लाइसेंस को समाप्त करने का अधिकार हैं। इस आशय का नोटिस दी जाती हैं और समाप्ति नोटिस के तहत निर्धारित नोटिस अवधि की समाप्ति के बाद किराएदार द्वारा लॉकर को सुपुर्द और खाली नहीं किया जाता हैं।

(b) यदि लॉकर्स धारक द्वारा तीन वर्ष तक लॉकर्स किराया जमा नही कराया जाता हैं तो बैंक लॉकर्स को तुडवाने का अधिकार रखता हैं।

(c) यदि लॉकर्स धारक द्वारा सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए निष्क्रिय रहता हैं(चाहे किराए का भुगतान किया गया हो या नही) और बैंक द्वारा किराएदार का पता नहीं लगाया जा सकता हैं। बैंक को यह स्वतंत्रता होगी कि यह लॉकर की सामग्री को लॉकर किराएदारों के नामित/कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करे या पारदर्शी तरीके से वस्तुओं का निपटान करें, भले ही किराए का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा हो।

(d) यदि सरकारी प्रवर्तन एजेंसियों ने लॉकरों को जब्त करने के लिए न्यायालय या उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी के आदेश के साथ बैंक से संपर्क किया हैं और लॉकरों तक पहुंच कायम करने का अनुरोध किया है, तथापि बैंक शर्त 5.15 के तहत यथा नियम अनुसार नोटिस देने के लिए बाध्य नही रहेगा।

(e) यदि बैंक का ऐसा विचार है कि लॉकर को वापस लेने की आवश्यकता है क्योंकि लॉकर को किराए पर लेने वाले व्यक्ति सहयोग नही कर रहा है या करार की शर्तो का पालन नहीं कर रहा हैं।

5.12 लॉकर तोड़कर खोलने के अधिकार का प्रयोग करने से पहले, बैंक द्वारा लॉकर को तोड़कर खोलने की प्रस्तावित कार्यवाही (तोडकर खोले जाने की नोटिस(''ब्रेक ओपन नोटिस'') के संबंध में बैंक द्वारा किराएदार को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट (और/या (i) ई–मेल जहां किराएदार की ईमेल आईडी उपलब्ध हैं, और (ii) एसएमएस और/या व्हाट्सएप, जहां किराएदार का मोबाइल फोन नंबर उपलब्ध हैं) द्वारा कम से कम एक महीने की पूर्व लिखित सूचना जारी की जाएगी

5.13 इस करार के तहत किन्ही बातों के शामिल होने के बावजूद, लॉकर खोलने से पहले बैंक किराएदार के मोबाइल फोन पर संदेश भेजकर, किराएदार के पते पर एक व्यक्तिगत संदेशवाहक भेजकर, किराएदार के लैंड लाइन/मोबाइल फोन आदि पर फोन करके किराएदार से संपर्क करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।

5.14 यदि बैंक द्वारा भेजी गई समाप्ति (टार्मिनेशन) नोटिस और यथा ऊपर कथित अनुसार लॉकर तोड़कर खोले जानी की नोटिस (ब्रेकिंग ओपन नोटिस), बिना सुपुर्दगी के लौटा दिया जाता हैं या बैंक द्वारा उचित प्रयास जिसमें ऊपर शर्त 5.12 और 5.13 के तहत उल्लिखित प्रयास शामिल हैं, किए जाने के बावजूद किराएदार का पता नहीं लगाया जा सका हैं, बैंक द्वारा, लॉकर तोड़कर खोलने से पहले, उसी स्थान जां किराएदार रहा हैं जैसा कि किराएदार के पते से पता चलता है या जैसा कि करार में उल्लिखित है या जैसा आगे किराएदार के पते से पता चलता है या जैसा कि करार में उल्लिखित है या जैसा आगे किराएदार द्वारा बैंक को सूचित किया गया है, के कम से कम 2(दो) समाचार पत्रों (एक अंग्रजी में और दुसरा स्थानीय भाषा में) में लॉकर तोड़कर खोले जाने के बैंक के इरादे के बारे में कम से कम 1 (एक) महीने की सार्वजनिक सूचना नोटिस जारी की जाएगी।

5.15 लॉकर तोड़कर खोलने का कार्य एक समिति की उपस्थिति में किया जाएगा जिसमें बैंक के 2(दो) अधिकारी और गवाह के रूप में कार्य करने वाले 2 (दो) स्वतंत्र व्यक्ति होंगे।

5.16 लॉकर को खोलने पर, यथा ऊपर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, बेंक लॉकर की सामग्री की वस्तु–सूची (इंवेंटरी) तैयार करेगा और बैंक के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता द्वारा वस्तु–सूची(इंवेंटरी) का मूल्यांकन करवाया जायेगा और लॉकर की सामग्री को टैम्पर–प्रुफ तरीके से एक अग्निरोधक तिजोरी के अंदर विस्तृत वस्तु–सूची(इंवेंटरी) के साथ सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा।

5.17 उपरोक्त के अलावा बैंक लॉकर तोड़कर खोलने की प्रक्रिया के संबंध में वस्तु सूची(इंवेंटरी) के मूल्यांकन सहित एक वीडियो भी रिकॉर्ड करेगा और उसे सुरक्षित रखने सहित संरक्षित किया जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी विवाद य अदालत संबंधी मामले में सबूत प्रदान किया जा सकें।

5.18 इसके अलावा, बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि लॉकर को तोड़कर खोले जाने का विवरण बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) या आरबीआई द्वारा समय–समय पर जारी साइबर सुरक्षा ढांचे के अनुरूप लॉकर रजिस्टर के अलावा किसी अन्य कम्पयूटरीकृत प्रणाली में प्रलेखित हैं।

5.19 ऊपर दिए गए पैराग्राफ में यथा उल्लिखित तरीके के अनुसार तैयार की गई वस्तु–सूची(इंवेंटरी) में दर्ज लॉकर की वस्तुओं का निपटान या तो सार्वजनिक नीलामी में बिक्री से प्राप्त बिक्री राशि को पहले किराएदार

द्वारा बैंक को देय राशि (बकाया किराया, लॉकर तोड़कर खोलने संबंधी शुल्क और अन्य कोई बकाया राशि सहित) के प्रति लागू किया जाएगा और शेष राशि किराएदार को वापस कर दी जाएगीया किराएदार के आदेश पर निपटान के लिए रखी जाएगी या किराएदार के नामिति या कानूनी वारिस को हस्तांतरित की जाएगी।

5.20 सार्वजनिक नीलामी आयोजित करके लॉकर की वस्तुओं की बिक्री से पहले, बैंक द्वारा बैंक के प्रति देय की वसूली हेतु लॉकर की वस्तुओं को नीलाम करने के बैंक के इरादे के बारे में बैंक द्वारा ग्राहक को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट (और/या (i) ई–मेल जहां किराएदार की ईमेल आईडी उपलब्ध हैं, और (ii) एसएमएस और/या व्हाट्सएप, जहां किराएदार का मोबाइल फोन नंबर उपलब्ध हैं)(''समाप्ति सूचना'') द्वारा कम से कम एक महीने की पूर्व लिखित सूचना जारी की जाएगी। उक्त नोटिस(''नीलामी सूचना'') में नीलामी की तिथी, समय और स्थान और उसकी शर्तो के अनुसार लॉकर की सामग्री संबंधी वस्तु–सूची(इंवेंटरी) की एक प्रति होगी।

5.21 यदि सरकारी प्रवर्तन एजेंसियां, न्यायालय या उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी के आदेश के साथ लॉकरों को जब्त करने और लॉकरों के प्रयोग हेतू बैंक से संपर्क करती हैं, तो बैंक किराएदार को पत्र भेजने के साथ–साथ ईमेल/एमएमएस द्वारा पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर सूचित करेगा।

06. देयताओं और दायित्व का बैंक द्वारा निर्वहन

6.1 बैंक किसी भी मामले में, लॉकर की सामग्री के खराब होने या क्षतिग्रस्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा चाहे वह बारिश, आग, बाढ़ भूकंप, बिजली, नागरिक अशांति या हंगामा, दंगा या युद्ध या किसी आतंकवादी हमले की स्थिति में या किसी अन्य ऐसे समान कारणों से हुआ हो।

6.2 किराएदार की गलती या लापरवाही के कारण या उसके ऐसे किसी कार्य से होने वाले लॉकर की सामग्री के किसी भी नुकसान/ हानि के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

6.3 बैंक अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा और इस समझौते के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लॉकर को तोड़ने और उसकी सामग्री के निपटारे की स्थिति में किराएदार द्वारा व्यय किसी भी लागत, हानि या दायित्व(लॉकर की सामग्री के संबंध में किसी भी प्रकार की क्षति और/या लॉकर की सामग्री के नुकसान सहित) के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

6.4 उपरोक्त के बावजूद, लॉकर पर बैंक की देयता हमेशा लागू विधि और विनियम के अधीन होगी। सुरक्षित जमा लॉकर के मौजूदा वार्षिक किराए के सौ गुना के बाराबर राशि के लिए बैंक का दायित्व होगा।

6.5 लॉकर की सामग्री को बैंक द्वारा किसी भी तरह से बीमाकृत नहीं माना जाएगा, और किसी भी जोखित के लिए लॉकर की सामग्री का बीमा करने के लिए बैंक का कोई दायित्व नहीं होगा।

6.6 बैंक द्वारा किराएदार को पूरी तरह से सूचित कर दिया गया हैं कि लॉकर में रखी सामग्री के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं हैं। किराएदार द्वारा लॉकर में किया गया कोई भी ऑपरेशन उसके अपने जोखिम पर हैं और भविष्य में किए गए किसी भी दावे के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं हैं। लॉकर में आवेदक द्वारा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ या अपनी पसंद के विश्वसनीय व्यक्ति की सहायता से किया गया कोई भी ऑपरेशन उसके अपने जोखिम पर हैं और बैंक किराए पर लेने वाले व्यक्ति(किराएदार) या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भविष्य में किए गए किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

07. जोखिम प्रबंधन, पारदिर्शिता एवं ग्राहक मार्गदर्शन

7.1 बैंक द्वारा लॉकरो की सामग्री को प्रभावित करने वाली घटनाएं जैसे डकैती, आग, प्राकृतिक आपदाओं, शाखा के स्थानांतरण/विलय के दौरान हानि आदि के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बीमा पॉलिसी ली गई हैं।

7.2 बैंक लॉकर की सामग्री या उसमें से हटाए गए या ग्राहक द्वारा रखी गई किसी भी वस्तु का रिकार्ड नही रखते हैं, इसलिए जोखिम जो भी हो, वे लॉकर की सामग्री का बीमा करने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगे। बैंक किसी भी परिस्थिति में लॉकर सामग्री के बीमा के लिए अपने लॉकर किराएदारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई बीमा उत्पाद नहीं देगें।

7.3 बैंक अपनी वेबसाइट पर मृतक लॉकर किराएदार/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री के नामित/उत्तरजीवी/कानूनी वारिसों को लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री तक पहुंच प्रदान करने के लिए निर्धारित नीतियों/प्रक्रियाओं के साथ अनुदेशों को प्रदर्शित करेंगें। इसके अलावा, उसी की एक मृद्रित प्रति नामांकित व्यक्ति/उत्तरजीवी/कानूनी उत्तराधिकारी को भी दी जाएगी।

7.4 लॉकर संचालन के लिए प्रयुक्त स्थान को CCTV के दायरे से बाहर रखा जाएगा ताकि लॉकर धारक द्वारा लॉकर संचालित करते वक्त उसमें रखे जाने वाली और निकालने वाली वस्तुओ की पूर्ण जानकारी केवल लॉकर धारक के ही संज्ञान में रहे ताकि वांछित गोपनियता सुनिश्चित की जा सके।

7.5 बैंक को उक्त प्रदर्शित नियमों में जोडने, परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार हैं उक्त समस्त परिवर्तित नियम किरायेदार पर बाध्यकारी होगें। जिसका विवरण बैंक की Website से प्राप्त किया जा सकेगा।

अनुसूची

स्थानः		दिनांकः		
1. **करार की पार्टिया**				
1.1	बैंक	जालोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड़ जिसे भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग कारोबार करने का लाईसेंस प्राप्त हैं, जिसका प्रधान कार्यालय, हरिदेव जोशी सर्कल, जालोर–343001 में स्थित हैं और उसकी एक शाखा ....के माध्यम से संचालक कर रहा हैं।		
1.2	किराएदार	**नाम व पता**		
		1 नाम : पता : ईमेल आईडी : टेलीफोन/ मोबाईल संख्या :		
		2 नाम : पता : ईमेल आईडी : टेलीफोन/ मोबाईल संख्या :		
		3 नाम : पता : ईमेल आईडी : टेलीफोन /मोबाईल संख्या : मोबाईल संख्या :		
		4 नाम : पता : ईमेल आईडी : टेलीफोन /मोबाईल संख्या :		
2	लॉकर का विवरण	लॉकर संख्या	:	
		कुंजी संख्या	:	
		श्रेणी/आकार/प्रकार	:	
3	लॉकर का किराया प्रति वर्ष	रूपए(आंकड़ों में)	:	
		रूपए(शब्दों में)	:	
		यथा समय–समय पर संशोधित/अग्रिम में देय		

4	लाईसेंस की अवधि	इस करार की तारीख से 1(एक) वर्ष जो इस तरह के एक वर्ष के अंत में स्वतः 1(एक) वर्ष की एक और अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा जब तक कि इसकी शर्तो को समाप्त नहीं किया जाता हैं।
5	संचालक अधिदेश	
6	अन्य नियम व शर्तो	
7	किराया वसूली के लिए कासा (बचत/चालू) खाता संख्या	

इसके साक्ष्य में, इसके पक्षकारों में इस करार को निष्पादित किया हैं।

किराएदार के लिए				
	1	2	3	4
हस्ताक्षर				
नाम				
पदनाम/हैसियत*				

(*ऐसे मामले में जहां किराएदार गैर–व्यक्तिगत है/व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर नहीं कर रहा हैं।)

बैंक के लिए (बैंक का नाम/शाखा का नाम)	:	
सील के साथ हस्ताक्षर	:	
हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं पद	:	